मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

पंचम तल, पिकप भवन विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010.

दूरभाष : 0522–2306082. फैक्स : 0522–2306126, 2306085. ई–मेल : igprisons-up@nic.in

परिपत्र सं0– 18 /मा0 अनु0(1)/313–2012 दिनांक: 18, मई, 2015.

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– नशे के आदी बंदियों को नशे की सामग्री की उपलब्धता पर रोक लगाये जाने एवं उनका उपचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारागार में कभी–कभी ऐसे बंदी निरूद्ध किये जाते है, जो पूर्व से ही किसी प्रकार का नशा करने के आदी होते है। इस प्रकार के बंदी येन–केन प्रकारेण नशे की सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा में रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कारागारों में न केवल नशे के आदी बंदियों को नशे की सामग्री उपलब्ध होने की सम्भावना को शून्य किया जाय, वरन् उनकी नशा करने की आदत को भी चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा समाप्त कराया जाय।

अतः बंदियों के अदालत से आते व जाते समय तथा उनके परिजनों के मुलाकात के आते समय स्थापित नियमों के अन्तर्गत सघनता से तलाशी करायी जाय। इसके अतिरिक्त कारागार के बंदीरक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक भी इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त पाये गये हैं, ऐसे कार्मिकों का चिन्हॉकन कराया जाय और उन पर कड़ी नजर रखी जाय तथा यदि संभव हो तो उनकी इस प्रकार की डियुटी लगायी जाय कि वे बंदियों से परोक्ष सम्पर्क में न रहें। कार्मिकों की तलाशी हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन किया जाय।

जनपद कानपुर के एक प्रकरण में यह पाया गया कि बंदी को अदालत जाते समय न्यायालय परिसर में नशे की सामग्री सुलभ हो जाती थी। अतः यह आवश्यक है कि बंदियों को न्यायालय ले जाने वाली पुलिस स्कार्ट को भी इस सम्बन्ध में समय–समय पर कड़े निर्देश स्वयं एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दे दें।

कारागार में निरूद्ध जो बंदी पूर्व से नशे के आदी रहे हैं, उनकी नशे की आदत छुड़ाने के लिए डी–एडिक्शन कार्यक्रम कारागार के चिकित्सक, जनपद में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से नियमित रूप से आहूत करायें एवं इस प्रकार के बंदियों को व्यस्त रखने के लिए शारीरिक, शैक्षिक व व्यवसायिक कार्यक्रम भी आहूत कराये जायें, ताकि वे अपने समय का सार्थक उपयोग कर सकें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

18/5

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।